

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
योजना के लिए आवेदन पत्र

आवेदक का
फोटो

1. आवेदक का नाम..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... जाति..... उप जाति.....
2. पता-मकान संख्या..... ग्राम/मुहल्ला..... ग्राम पंचायत/वार्ड..... थाना क्षेत्र.....
पोस्ट आफिस..... विकास खण्ड/नगर निकाय..... तहसील..... जनपद.....
3. जन्मतिथि.....
4. आयु..... वर्ष..... (आयु का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)
5. आवेदक से संबंधित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :-
(क) पति/पत्नी उम्र वर्ष (ग) पुत्र का पुत्र उम्र वर्ष
(ख) पुत्र/पुत्री उम्र वर्ष (घ) अन्य उम्र वर्ष
1-
2-
6. शिनाख्ती चिन्ह.....
7. बैंक एवं शाख का नाम..... खाता संख्या.....

आवेदक द्वारा शपथ

8. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि :-
 1. मैं/मेरा परिवार बी०पी०एल/अन्तयोदय कार्ड धारक हूँ एवं मैं गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हूँ (शहरी क्षेत्र के लिए)। मेरा/मेरे परिवार के मुखिया का नाम बी०पी०एल० सूची 2002 के क्रमांक..... पर दर्ज है। फेमिली आई.डी. संख्या..... है (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
 2. मुझे अन्य किसी स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
 3. मेरी उम्र 60/65 वर्ष या उससे अधिक है।
 4. मैं उत्तर प्रदेश का/की निवासी हूँ।
 5. मेरे गुजर/बसर का कोई जरिया नहीं है।

घोषणा

1. उपरोक्त विवरण सही है यदि गलत सिद्ध हुआ तो, जो रकम मुझे वृद्धावस्था पेंशन के रूप में दी जाए, वह भू-राजस्व के बकाये की गौंति वसूल कर ली जाए।
2. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ, कि समस्त स्रोतों से मेरे व मेरे परिवार की आय बी०पी०एल० श्रेणी की आय से कम है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

(ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु)
ग्राम पंचायत के प्रयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. आवेदक को पहले किसी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
2. आवेदक/उसके परिवार के मुखिया का नाम बी०पी०एल० सूची 2002 के क्रमांक..... पर दर्ज है तथा बी०पी०एल० फेमिली आई.डी. संख्या..... है।
3. आवेदक को ग्राम पंचायत की खुली बैठक दिनांक..... में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय/वृद्धावस्था-किसान पेंशन स्वीकृत की गयी है।
4. परिवार रजिस्टर/मतदाता सूची/शैक्षिक प्रमाण पत्र/विक्रितता प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की उम्र..... है।

ग्राम प्रचान के हस्ताक्षर एवं
ग्राम पंचायत की मुहर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर

खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

आवेदक के बी०पी०एल० क्रमांक, उम्र, पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव व अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर लिया गया है। पेंशन भुगतान की संस्तुति की जाती है।

खण्ड विकास अधिकारी का नाम/हस्ताक्षर एवं मुहर

(श्रद्धाञ्जलि)

(शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु)
तहसील के उपयोगार्थ

प्राणित किया जाता है कि :-

1. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे निवासरत है तथा वह उपरोक्तानुसार बी०पी०एल०/अन्त्योदय कार्ड धारक है तथा कार्ड न०.....है
 2. आवेदक की उम्र 60/65 वर्ष या उससे अधिक है।
 3. मतदाता सूची/शैक्षिक प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी उम्र.....वर्ष है।
 4. आवेदक को अन्य किसी स्रोत से किसी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
- अतः इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/वृद्धावस्था-किसान पेंशन योजना के अनतर्गत पेंशन स्वीकृत की संस्तुति की जाती है।

संबंधित लेखपाल का नाम
हस्ताक्षर सहित

तहसीलदार का नाम हस्ताक्षर
एवं मुहर

सिटी मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

उपरोक्त आवेदन पत्र का परीक्षण करा लिया गया है। पेंशन स्वीकृत की जाती है

सिटी मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी का नाम
हस्ताक्षर एवं मोहर

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद-

1. उपरोक्त आवेदक के बी०पी०एल० सूची 2002 में अंकन होने का मिलान कर लिया गया है। उसके आयु प्रमाण पत्र की जांच कर ली गयी है।
2. आवेदन पत्र प्राप्त रजिस्टर के क्रमांक- पर अंकित है। पेंशन भुगतान की अनुमति दी जाती है और उसका नाम भुगतान पंजिका (ओ०ए०पी०-8) के पृष्ठ सं०- पर अंकित कर दिया गया है।
3. आवेदन पत्र अपूर्ण है/बी०पी०एल० सूची 2002 में नाम सही है। आयु का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से नहीं दिया गया है, उम्र 60 वर्ष से कम है। आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है और पेंशन भुगतान की अनुमति नहीं दी जाती है।

प्राणित लिपिक/
सहायक

जिला समाज कल्याण अधिकारी